



## कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फ़ैक्स: 05962-232182 ई-मेल [almoraforestdivision@rediffmail.com](mailto:almoraforestdivision@rediffmail.com)  
पत्रांक 9416 / 12-1(2) दिनांक, अल्मोड़ा 07-06-2018

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।  
(प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10443)

**सन्दर्भ :-** ऑन लाइन आपत्ति  
महोदय,

विषयगत प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों की निराकरण सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है -

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्ताव बाईडिंग नहीं किया गया है। कृपया प्रस्ताव बाईडिंग कर प्रस्तुत करें तथा प्रस्ताव के प्रपत्र भी सही क्रमांक में नही लगाये गये है। अतः प्रपत्रों को सही क्रमांक में लगाये जाये।	प्रस्ताव के प्रपत्र सही क्रमांक में लगाकर प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 2790/36सी. दिनांक 27.11.2017 को प्रेषित कर दिनांक 29.11.2017 को नोडल अधिकारी कार्यालय, देहरादून में जमा कर दिया गया है।
2.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo-refernced Map प्रस्ताव संलग्न किया जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम खिरुड़ी खाता सं० 1 की 14.154 हे० वन पंचायत भूमि का स्थल Geo-refernced Map प्रस्ताव बिन्दु सं०-1.7 में स्पष्ट संलग्न कर ऑन लाईन कर दिया गया है।
3.	लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्र में एन०पी०वी० की धनराशि रु 8.45 लाख दर्शायी गयी है, जबकि एन०पी०वी० के प्रमाण पत्र में रु 9.39 लाख निर्धारित की गयी है। अतः सही सूचना उल्लेख किया जाय।	लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्र में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रु 9.39 लाख अंकित कर कुल धनराशि सही कर कर बिन्दु सं० 1.11 में संलग्न कर दिया गया है।
4.	प्रस्ताव में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण प्रमाण पत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी के दो प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है, जिसमें एक में हवाई दूरी 75 किमी. एवं दूसरे में 21 किमी. का उल्लेख है। सही प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।	प्रस्ताव में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण प्रमाण पत्र में प्रस्तावित क्षेत्र की हवाई दूरी एवं मोटर मार्ग से दूरी के दो प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है, जिसमें एक में मोटर मार्ग से दूरी 75 किमी. एवं दूसरे में हवाई दूरी 21 किमी. का उल्लेख है।
5.	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण किस भूमि पर प्रस्तावित किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु उसके क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए भूमि का नाम भी अंकित करें।	मलवा निस्तारण नाप भूमि में किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु 1.48हे० भूमि की आवश्यकता होगी, जिसका उल्लेख (NOC) सहमति सहित बिन्दु 2.19 में संलग्न किया गया है।

नोट :- भारत सरकार के पत्रांक 11-423ध2011-FC दिनांक 08.11.2017 के अनुसार उक्त मोटर मार्ग सबोली बैण्ड से तौलबुधानी तक लिंक मोटर मार्ग है, जिस हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन पंचायत भूमि (ग्राम खिरुड़ी) चयनित की गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।